

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2591]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 12, 2013/कार्तिक 21, 1935

No. 2591]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 12, 2013/KARTIKA 21, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2013

का.आ. 3431(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8ई (एक्सटेंशन) के 306.080 कि.मी. से 408.620 कि.मी. तक के भूखण्ड (पोरबंदर सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् डेप्यूटी कलेक्टर, पोरबंदर, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भूरेखांक और अन्य व्योरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8ई (एक्सटेंशन) के 306.080 कि.मी. से 408.620 कि.मी. तक (पोरबंदर सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम. संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल हेक्टेयर में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	पोरबंदर	1. पोरबंदर	1. बोखीरा	404	निजी	खेती	0.4048
				603	निजी	खेती	5.4240
				488	निजी	खेती	0.0150
				402	निजी	खेती	0.4560
				405	निजी	खेती	0.0150
				383/1	निजी	खेती	0.1320
				365	निजी	खेती	0.0320
				305	निजी	खेती	0.3840
				271	निजी	खेती	0.1920
				381/1	निजी	खेती	0.1440
				379	निजी	खेती	0.0960
				380/2	निजी	खेती	0.0832
				382	निजी	खेती	0.1088
				376	निजी	खेती	0.3840
				378	निजी	खेती	0.0240
				371	निजी	खेती	0.2688
				372	निजी	खेती	0.4320
				373	निजी	खेती	0.0960
				374	निजी	खेती	0.2688
				366	निजी	खेती	0.2912
				362	निजी	खेती	0.4480
				364	निजी	खेती	0.0352
				304	निजी	खेती	0.0864
				303/2	निजी	खेती	0.2448
				303/1	निजी	खेती	0.0432
				309	निजी	खेती	0.4080
				308	निजी	खेती	0.6720
				311	निजी	खेती	1.0816
				268/1	निजी	खेती	0.3360
				268/3	निजी	खेती	0.1650

				267	निजी	खेती	0.2100
				270	निजी	खेती	0.3840
				219	सरकारी	बिन खेती	1.2480
				217	निजी	खेती	0.6490
				228	निजी	खेती	0.2990
				230	निजी	खेती	0.0996
				238	निजी	खेती	0.1045
				239/2	सरकारी	बिन खेती	0.0910
				237	निजी	खेती	0.3072
				248	निजी	खेती	0.5280
				249	निजी	खेती	0.5152
				235	निजी	खेती	0.4508
				250	निजी	खेती	1.2000
				251	निजी	खेती	0.5760
				252	निजी	खेती	0.1400
				229	निजी	खेती	0.1030
				312	निजी	खेती	0.1200
				370	निजी	खेती	0.1050

[फा. सं. 11011/भारराप्रा/गुजरात/राजकोट/एलए]

माया प्रकाश, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th November, 2013

S.O. 3431(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/ four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 8E (Ext.), in the stretch of land from Km. 306.080 to Km. 408.620 (Porbandar Section) in the district of Porbandar in the State of Gujarat, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 3C of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Deputy Collector, Porbandar in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 3C of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from km. 306.080 to km. 408.620 (Porbandar section) of National Highway No.-8E (Extn.) in the State of Gujarat.

Serial number	Name of the district	Name of the taluka	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in hectares)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Porbandar	1. Porbandar	(1) Bokhira	404	Private	Agricultural	0.4048
				603	Private	Agricultural	5.4240
				488	Private	Agricultural	0.0150
				402	Private	Agricultural	0.4560
				405	Private	Agricultural	0.0150
				383/1	Private	Agricultural	0.1320
				365	Private	Agricultural	0.0320
				305	Private	Agricultural	0.3840
				271	Private	Agricultural	0.1920
				381/1	Private	Agricultural	0.1440
				379	Private	Agricultural	0.0960
				380/2	Private	Agricultural	0.0832
				382	Private	Agricultural	0.1088
				376	Private	Agricultural	0.3840
				378	Private	Agricultural	0.0240
				371	Private	Agricultural	0.2688
				372	Private	Agricultural	0.4320
				373	Private	Agricultural	0.0960
				374	Private	Agricultural	0.2688
				366	Private	Agricultural	0.2912
				362	Private	Agricultural	0.4480
				364	Private	Agricultural	0.0352
				304	Private	Agricultural	0.0864
				303/2	Private	Agricultural	0.2448
				303/1	Private	Agricultural	0.0432
				309	Private	Agricultural	0.4080
				308	Private	Agricultural	0.6720
				311	Private	Agricultural	1.0816
				268/1	Private	Agricultural	0.3360

				268/3	Private	Agricultural	0.1650
				267	Private	Agricultural	0.2100
				270	Private	Agricultural	0.3840
				219	Government	Non-Agricultural	1.2480
				217	Private	Agricultural	0.6490
				228	Private	Agricultural	0.2990
				230	Private	Agricultural	0.0996
				238	Private	Agricultural	0.1045
				239/2	Government	Non-Agricultural	0.0910
				237	Private	Agricultural	0.3072
				248	Private	Agricultural	0.5280
				249	Private	Agricultural	0.5152
				235	Private	Agricultural	0.4508
				250	Private	Agricultural	1.2000
				251	Private	Agricultural	0.5760
				252	Private	Agricultural	0.1400
				229	Private	Agricultural	0.1030
				312	Private	Agricultural	0.1200
				370	Private	Agricultural	0.1050

[F. No. 11011/NHAI/Gujarat/Rajkot/LA]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.